



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1187

दिनांक: 30/12/2022

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. उच्च-स्तरिय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित उप निदेशक (योजना) को निदेशक (योजना) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-12 (₹.78,800 – 2,09,200/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग में (₹15600-39100/-). के पे-बैंड में ₹7600/- के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होगा:


क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/61	मीना विधानी पत्नी श्री अजय विधानी	लैंड पूलिंग-II/लैंड पालिसी, योजना क्षेत्र-एन एवं पी-II.
2/62	शिखा भार्गव पत्नी श्री सुधीर कान्त	एम.पी. एवं डी.सी. यूनिट
3/63	नीतू रंधावा पत्नी श्री दीपक रंधावा	द्वारका परियोजना (योजना क्षेत्र के-II)
4/64	साक्षी वालिया पत्नी श्री विवेक वालिया	योजना क्षेत्र- ए एवं बी
5/65	बनोठ जीवन बाबू सुपुत्र श्री बी. चन्द्र	दिल्ली डिविजन (MoHUA), भारत सरकार
6/66	अशवनी कुमार सुपुत्र श्री इन्द्र लाल	नरेला परियोजना (योजना क्षेत्र पी-I)

2. यदि उपरोक्त अधिकारीयों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत ₹15600-39100/- के वेतनमान में ₹7600/- रू. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. निदेशक (योजना) के पद पर उपरोक्त अधिकारीयों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु आयुक्त (योजना)-II को रिपोर्ट करने का आदेश किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

5. उपरोक्त पदोन्नति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2019 के अनुसार पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित SLP(C) No. 026494/2019 शीर्षक 'अशोक कुमार बनाम कंवल कुमार व अन्य' एवं SLP(C) No. 001762/2020 शीर्षक 'निधि त्यागी बनाम कंवल कुमार व अन्य' के अंतिम परिणाम के अधीन हैं।


(विनीत जैन) 30/12/22
आयुक्त (कार्मिक)

सं.-एफ.10(64)2022 /सी.सी./ 1019
प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक:- 30/12/2022

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.के विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.के निजी सचिव।
3. प्रधान आयुक्त (कार्मिक/उद्यान),(भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. आयुक्त -(कार्मिक), (योजना)-I, II, लैंड पूलिंग, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
6. मुख्य अभियंता (सिविल) कोटि नियंत्रण, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. अतिरिक्त आयुक्त (योजना) - परियोजना, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
9. निदेशक - (कार्मिक)-1, सतर्कता 1 - 2, योजना (समन्वय), लैंड पूलिंग, दि.वि.प्रा.।
10. उप निदेशक - (कार्मिक)-1, सतर्कता(प्रशा.), आरक्षण कक्ष, आर.टी.आई. कक्ष, दि.वि.प्रा.।
11. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस), आदेश को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु।
12. सहायक निदेशक -(कार्मिक)-1, पी.एम.आई.एस, गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा.।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (योजना संस्था.), संबंधित सी.ए.यू. दि.वि.प्रा.।
14. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
15. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।



(प्रमोद कुमार)
उप-निदेशक(गोपनीय शाखा)